न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा जिला नागौर

निर्णय दिनांकः– 2-4-2018 मिसल नम्बरः– 513/2018

पत्रावली आज पेश हुई।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ....हिरोड़ी.... ने भू–अभिलेख निरीक्षक ....केरा.... से सत्यापित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी ....रामसिंह.... पुत्र ....बिरदान.... जाति ....चारण.... निवासी ....हिरोड़ी.... ने मौजा/राजस्व ग्राम ....हिरोड़ी.... के खसरा नम्बर ....291.... रकबा ....0.034 बीघा.... किस्म भूमि ....रोही.... पर संम्वत 2074 में अवैध रूप से अतिकमण किया है।

इस पर अप्रार्थी के विरूध 91 एल आर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील के पश्चात अप्रार्थी ~~उपस्थित~~/ अनुपस्थित। परन्तु किये गये अतिकमण के पक्ष में कब्जे के सबूत बाबत कोई सन्तोषजनक जबाव अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। पुराने कब्जे के बाबत् भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कियें गये। जिसके अनुसार अतिकमी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिकमी का मुतनाजा अराजी पर कब्जा है। एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अप्रार्थी अतिकमी घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिकमी भूमि से बेदखली आदेश दिये जाते है। तथा अतिचार करने के फलस्वरूप लगान ....0.15.... प्रतिवर्ष का 50 गुना कुल ....8/–.... रूपये बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अतिकमी को अतिकमण स्थल से भौतिकरूप से बेदखल करके फर्द बेदखली रिर्पोट पेश करे। साथ ही जुर्माना वसूल कर पालना रिर्पाट पेश करे। तहसील राजस्व लेखाकार (टी.आर.ए.) व पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मांग दर्ज कर वसूल करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णीतशुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार, मूण्डवा

मोहर

तहसीलदार
मूण्डवा (नागौर)

Contact : 01584-283035(O) E-Mail- tdr.mun@rediffmail.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

निराळो नागौर